



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 094859

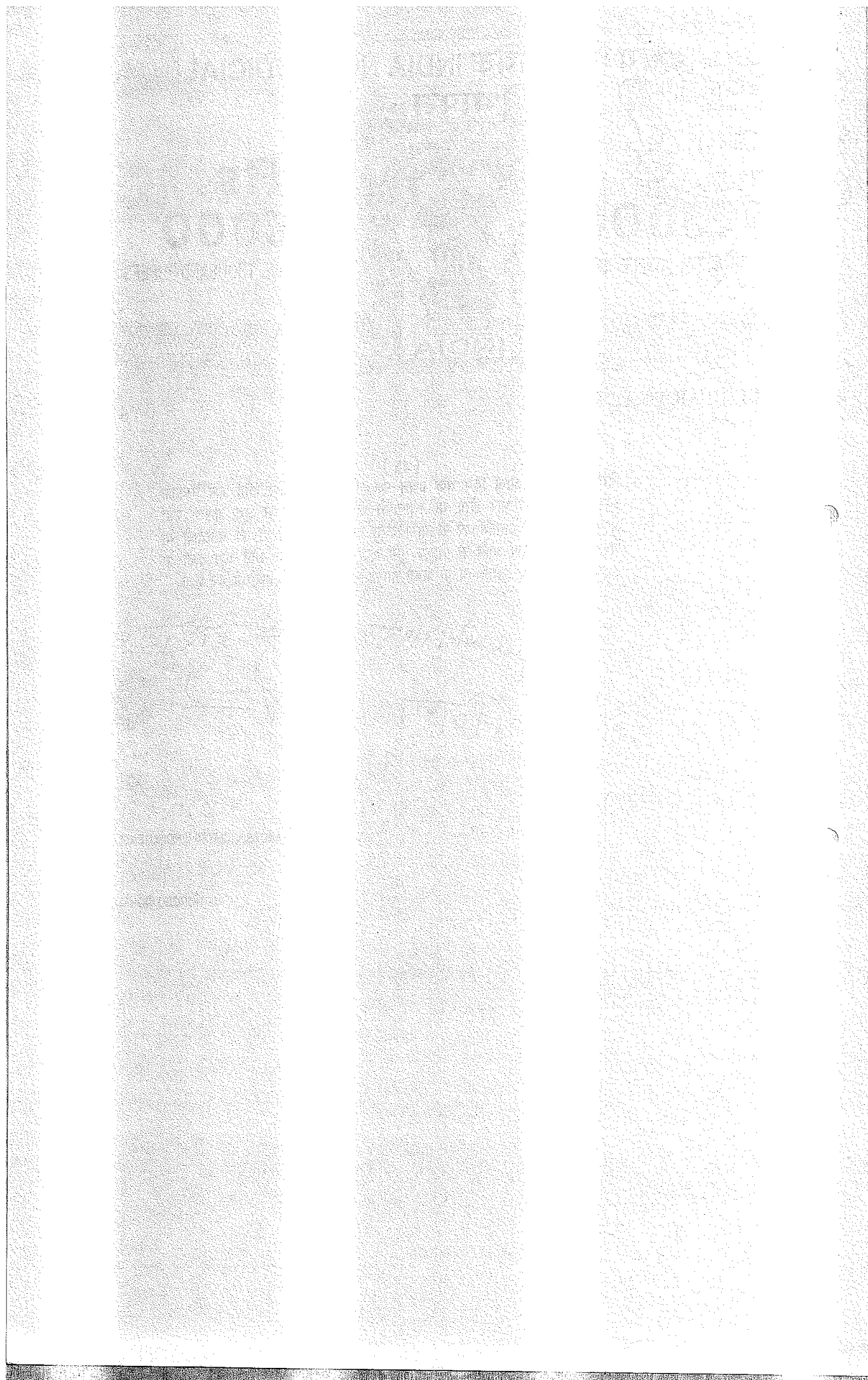
(15)

- 7- विक्रीत भूमि पर आज दिन तक प्रथम पक्ष/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या विक्रेता के उत्तराधिकारियों की दायेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी

Gundolf *फाल्गुन सिंह राज* *लेवे-इंडस्ट्री से मोनी*
नोगा

FOR AGARWAL ASSOCIATES (PROMOTERS) LTD.

AUTHORIZED SIGNATORY





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 094858

(16)

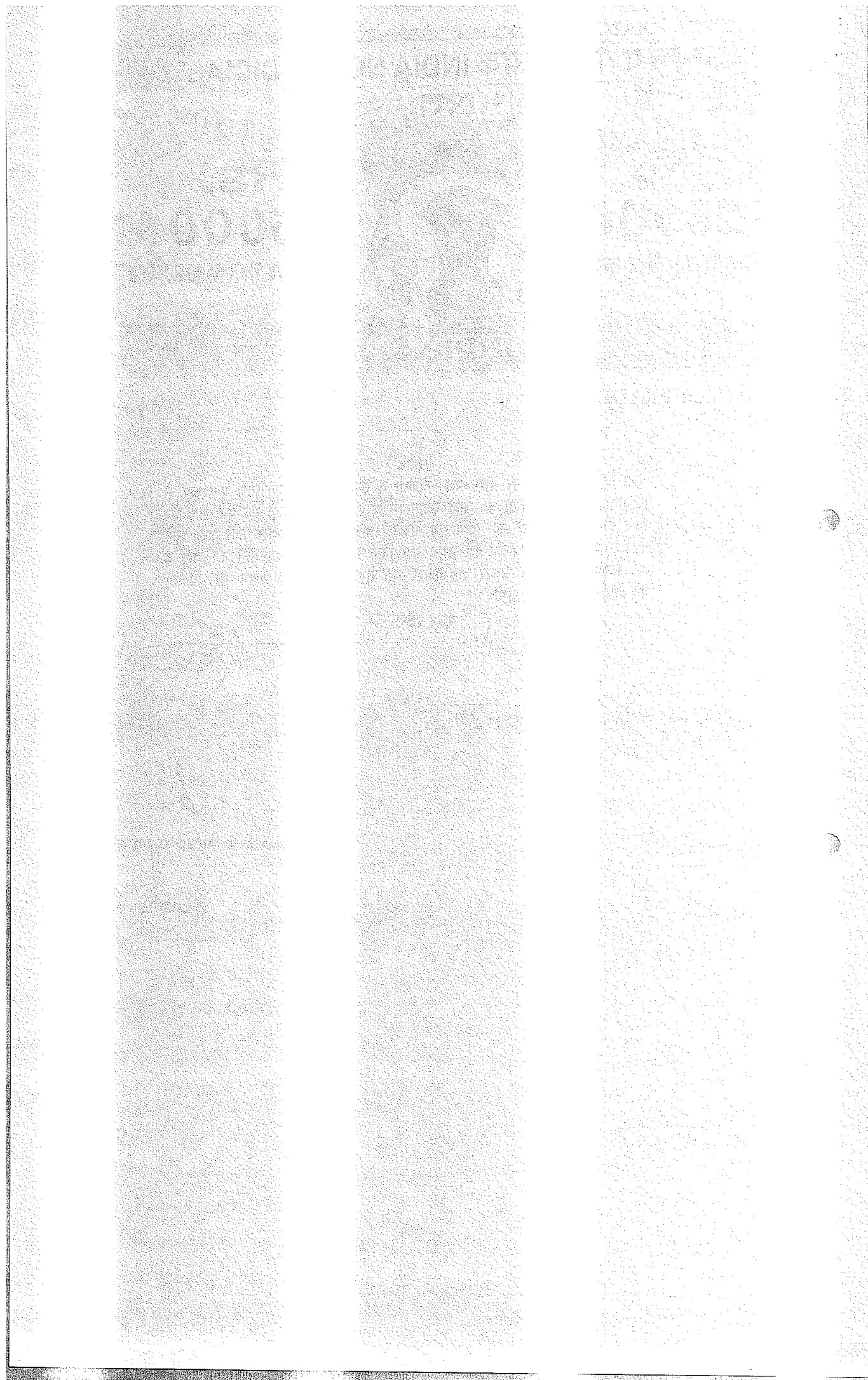
दशा के उत्पन्न होने पर प्रथम पक्ष/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशि को मय हर्ज खर्च प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर प्रथम पक्ष/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

Gandeep
जलेश्वर मिश्रा
लोगा

बिदेन्द्र सिंह
वै. २०

FOR AGARWAL ASSOCIATES (PROMOTERS) LTD.

AUTHORIZED SIGNATORY





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 094857

(17)

8- अतः अब विक्रय पश्चात् विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

Sandeep

हस्ताक्षर
09/02/11

FOR AGARWAL ASSOCIATES (PROMOTERS) LTD.

AUTHORIZED SIGNATORY

